...लय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

...ीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
...स्व वाद संख्या : 13/2018
...MS NO. : 2018/00024

–: वादीया :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

वादीया:

1. मैना देवी पत्नी खींयाराम भाड़िया जाति– जाट, निवासी– आसरलाई तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

प्रतिवादीगण:

1. हीराराम पुत्र भदाराम फौत के कायम मुकाम
   1/1. सुखड़ी पत्नी हीराराम
   1/2. कमला पुत्री हीराराम
   1/3. कैलाश पुत्र हीराराम
   1/4. जसादेवी पुत्री हीराराम
2. पुसाराम पुत्र भदाराम
3. भंवरूराम पुत्र भदाराम
4. तेजाराम पुत्र भदाराम फौत के कायम मुकाम
   4/1. परमाई पत्नि तेजाराम
   4/2. रितू पुत्री तेजाराम वलिया जरीये माता परमाई पत्नि तेजाराम
5. फुलकी पत्नी मादूराम
6. माना उर्फ मनीष पुत्र मादूराम
7. कुलदीप पुत्र मादूराम नाबालिग कुदरती वलीया माता फुलकी पत्नी मादूराम
8. शोभा देवी पुत्री मादूराम जाति– जाट, निवासीगण– आसरलाई तहसील– जैतारण, जिला पाली राज0।
9. तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर तहसील जैतारण, जिला पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत [illegible] एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः–

1. श्री महावीर सिंह उदावत, अधिवक्ता, [illegible]
2. तहसीलदार जैतारण, पैरोकार सरकार राज0।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 15/03/2021

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

का पेश किया कि सरहद मौजा आसरलाई, पटवार हल्का आसरलाई, भू. अभिलेख
क क्षेत्र निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में विवरण की कृषि भूमि
है :- खसरा नम्बर 320 रकबा 03-12 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा
321 रकबा 25-15 बीघा किस्म बारानी अव्वल, उपरोक्त वर्णित भूमि
दीगण संख्या एक से आठ की संयुक्त व शामलाती कब्जा काश्त व खातेदारी की
है। जिसमें संख्या एक से आठ कर रहे थे। जिसमें प्रतिवादीगण संख्या से आठ का
नम्बर 320 रकबा 03-12 बिस्वा भूमि प्रत्येक में 5/7 वां हिस्सा आता है तथा
ं0 321 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा भूमि मे 1/3 का प्रत्येक का 5/7
ा आता है। उक्त वर्णित भूमि मे प्रतिवादीगण संख्या एक से आठ के हित व
की भूमि थी जो पहले कही पर रहन, बेचान आदि की हुई नही है तथा इस
किसी का कोई ऋण या लोन या देनदार या विवाद आदि बकाया नही होने से
वादीगण संख्या एक से आठ ने उपरोक्त कृषि भूमि का एक बेचाननामा वादीया के
मे दिनांक 17.06.2014 तहसील कार्यालय जैतारण मे किया गया था तथा
पर भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द किया गया था तब से वादीया तमाम काश्त व
त मुतालिक तमाम कार्य कर रही है उक्त बेचान ख0नं0 320 रकबा 3 बीघा
बिस्वा मे प्रतिवादीगण का 5/7 हिस्सा 2-57 बीघा की सम्पूर्ण कृषि भूमि तथा
नं0 321 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा की भूमि मे प्रतिवादीगण के हिस्से 1/3
5/7 का 17/43 वां हिस्सा की (2-423 बीघा) कृषि भूमि को बेचान किया
ा था। जिस बेचान की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है तथा नकल जमाबंदी
दपत्र के साथ पेश है। वादीया ने अपने नाम बेचान की गई कृषि भूमि की नकल
वारी हल्का आसरलाई को नामान्तरण भरने हेतु दे दी तथा पटवारी हल्का
ासरलाई ने वादीया नाम जरिये बेचान के नामान्तरण भरने का आश्वासन देकर कहा
या कि आपके नाम नामान्तरणकरण भर दिया जायेगा। उपरोक्त भूमि को आगे
दग्रस्त कृषि भूमि लिखा जायेगा। प्रतिवादीगण संख्या एक हीराराम वादग्रस्त कृषि
वादीया को बेचान करने के पश्चात प्रतिवादीगण संख्या एक हीराराम का देहान्त
गया था तब हीराराम के कायम मुकाम प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/4 के नाम
की प्रविष्टि जरिये फौतेदगी म्युटेशन के कर दी गई तथा उनका नाम राजस्व रेकर्ड मे
गलत रूप से इन्द्राज हो गया तथा वादीया के नाम बेचान के पश्चात उसके नाम का
नामान्तरणकरण नही भरा गया। वादीया ने पटवारी हल्का से कई बार मौखिक निवेदन
किया लेकिन पटवारी हल्का ने नामान्तरण नही भरा। प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से
1/4 के नामों की गलत प्रविष्टिया की गई क्योकि प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/4
के पिता हीराराम ने उनके हिस्से की कृषि भूमि का बेचान वादीया को दिनांक 17.
06.2014 को बेचान कर दिया था जो प्रविष्टियां वर्तमान समय मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज
है राजस्व रेकर्ड मे दर्ज गलत प्रविष्टिया वादीया के कानूनी एवं सम्पतिक खातेदारी
हितो के विरूद्ध बेअसर व शून्य है। वादीया ने सन् 2017 मे प्रतिवादीगण को कहा
कि वे अपनी कृषि भूमि व हिस्से जो वादीया को बेचान की गई उसके नाम तहसील
कार्यालय मे चलकर उसके नाम नामान्तरणकरण भरावे तब प्रतिवादीगण द्वारा
आनाकानी करने पर वादीया को वहम हुआ तब वादीया ने दिनांक 05.06.2017 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ने तहसील कार्यालय से राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी की नकलें ली तब वादीया
ता चला की प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/4 का नाम की प्रविष्टिया जरिये
गी म्युटेषन के भर दी गई है तथा वादीया का नाम भी बतौर खातेदार
कार के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज ही नही किया गया। जबकि प्रतिवादीगण संख्या
से 1/4 के पिता व प्रतिवादीगण संख्या पांच से आठ ने उपरोक्त वादग्रस्त कृषि
वादीया को बेचान की गई थी। इसलिए जरिये बेचान के वादीया का नाम
स्व रेकर्ड मे दर्ज किया जाना आवश्यक था। उक्त जानकारी मिलने पर वादीया ने
ांक 25.12.2017 को सभी प्रतिवादीगण को कहा कि वादीया का नाम राजस्व
र्ड मे दर्ज कराओ और कार्यवाही करो तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये तथा वादीया
धमकी दीकि वह वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही करायेगे और न
रने देगे। वादीया को बेचान की गई उसके हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल करके
मे का बेचान हस्तान्तरण कर देगे। वादीया ने समझाने का प्रयास किया तो भी
तिवादीगण नही माने। वादीया वादग्रस्त कृषि भूमि मे घोषणा के जरिये अपने नाम
राजस्व रेकर्ड मे प्रविष्ठि करायी जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की कानूनी
धिकार प्राप्त है प्रतिवादीगण ने गलत राजस्व रेकर्ड का नाजायज फायदा उठाते हुए
दीया को जबरन बेदखल करके वादग्रस्त कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण कर दिया
वादीया की रोजी रोटी का अधिकार समाप्त हो जायेगा क्योकि वादीया का एक
ात्र रोजीरोटी का जरिया एक मात्र वादग्रस्त कृषि भूमि ही है तथा वादीया को
सीम क्षति होगी ऐसी स्थिति मे वादीया को अपने खातेदारी काश्तकारी साम्पैतिक
ानूनी अधिकारो की रक्षा करना आवश्यक हो जाता है लिहाजा यह वादपत्र घोषणा व
स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
प्रतिवादीगण संख्या नो राजकीय अधिकारी है जिनके विरूद्ध दो माह का कानूनी
नोटिस दिया जाना आवश्यक हो जाता है परन्तु वादपत्र अति आवश्यक प्रकृति का
होने से तथा नोटिस देने व उसकी अवधि समाप्त होने तक वादीया के वाद का
मक्सद ही विफल हो जाने से न्यायालय की अनुमति से यह वादपत्र बिना नोटिस के
पेश किया जा रहा है। बिनाय दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण सन् 2017 मे वादग्रस्त कृषि
भूमि मे वादीया के नाम की घोषणा कराने पर तथा दिनांक 05.06.2017 को
प्रतिवादीगण द्वारा वादीया को वादग्रस्त कृषि भूमि नाम दर्ज नही देने व दिनांक 25.
12.2017 को जबरन बेदखलकर कब्जा करने व बेचान हस्तान्तरण की धमकी देने
पर स्थान ग्राम आसरलाई मे उत्पन्न होता है, जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व
श्रवणाधिकार मे होने से वादीया का वादपत्र अन्दर म्याद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया [illegible] तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 बावजूद सम्मन तामिल/सूचना के [illegible] रहनें से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। बहस [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:26 IST
Reason: SelfAttested

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. वादी के अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम आसरलाई तहसील जैतारण खसरा संख्या 320 रकबा 3-12 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का प्रत्येक का 5/7 हिस्सा एवं

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

संख्या 321 रकबा 25–15 बीघा में प्रत्येक का 1/3 का 5/7 हिस्सा आता है। दीगण संख्या 1 से 8 द्वारा उपर्युक्त आराजी का जरिये पंजीकृत बैचाननामा दिनांक 6.2014 द्वारा खसरा नम्बर 320 रकबा 03–12 बीघा का सम्पूर्ण हिस्सा का वां हिस्सा तथा खसरा नम्बर 321 रकबा 25–15 बीघा का 1/3 का 5/7 वां का 17/43 वां हिस्सा भूमि का वादीया को बैचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया । अतः वादीया माफिक बैचाननामा क्रय शुदा भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा ाने की अधिकारी है।

साक्ष्य वादी में प्रस्तुत प्रदर्श–1 एवं प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 ग्राम रलाई के अनुसार वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम सहखातेदारी में दर्ज है। f–3ए पंजीकृत बैचाननामा दिनांक 17.06.2014 के अनुसार ग्राम आसरलाई ील जैतारण निवासी 1. हीराराम पुत्र भदाराम, 2. पुसाराम पुत्र भदाराम, 3 भंवरूराम भदाराम, 4. तेजाराम पुत्र भदाराम फुलकी पत्नी मादूराम, 5. फुलकी पत्नी मादूराम, 6. ा पुत्र मादूराम कुदरती वलिया माता फुलकी पत्नी मादुराम, 7. कुलदीप पुत्र मादूराम ती वलिया माता फुलकी पत्नी मादुराम, 8. शोभा देवी पुत्री मादूराम द्वारा क्रेता मैनादेवी ी खींयाराम भाड़िया निवासी आसरलाई को ग्राम आसरलाई की तत्कालीन जमाबन्दी वत् 2066–2069 के खसरा नम्बर 320 रकबा 03–12 बीघा का सम्पूर्ण हिस्सा का 7वां हिस्सा तथा खसरा नम्बर 321 रकबा 25–15 बीघा का 1/3 का 5/7 वां हिस्सा 17/43 वां हिस्सा भूमि का विक्रय करते हुये कब्जा हस्तान्तरित किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्रेता वादीया वादग्रस्त आराजी की वक्त क्रय से खातेदार अभिधारी हो चुकी तथा ऐसे खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

चुंकि वर्तमान भू अभिलेख एवं वादपत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी के विक्रेता एवं तिदार हिराराम, तेजाराम पि0 भदाराम फौत हो चुके है तथा भू अभिलेख में इनके स्थान इनके वारिसान के नाम जरिये फौतेदगी नामान्तरण दर्ज हो चुके है, लेकिन चुंकि मृतक राराम एवं तेजाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपना हक हिस्सा पंजीकृत बैचाननामा रा क्रेता वादीया को बैचान किया जा चुका था लिहाजा इनके वारिसान का कोई हक वादीया की क्रय शुदा में शेष नहीं रहता है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि ादीया अपने वादपत्र को भली भांति साबित करनें में सफल रही है। अतः वाद वादी बहक ादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार करते हुये डिक्री किया जाना उचित एवं विधि सम्मत ोगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीया अंतर्गत आदेश धारा–88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादीया के पक्ष में बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है ... आराजी सरहद मौजा आसरलाई, पटवार हल्का आसरलाई, भू. ... तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में स्थित खसरा नम्बर 320 रकबा 03–12 बीघा किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा संख्या 321 रकबा 25–15 बीघा किस्म बारानी अव्वल में से मुताबिक पंजीकृत बैचाननाम संख्या 2014002766 दिनांक 17.06.2014 के क्रेता/वादीया को क्रमशः खसरा नम्बर 320 रकबा 03–12 बीघा का सम्पूर्ण हिस्सा का 5/7वां हिस्सा तथा खसरा नम्बर 321 रकबा 25–15 बीघा का 1/3 का 5/7 वां

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

का 17/43 वां हिस्सा का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है तथा दीगण संख्या 01 से 08 का नाम भू अभिलेख से विलोपित किया जावें। दीगण संख्या 01 से 08 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ा के हक हिस्से में किसी प्रकार की बेजा दखलादांजी नहीं करें तथा न ही वादीया पने खातेदारी अधिकारों के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें। दौरान-ए-वाद विचारण प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 द्वारा उपर्युक्त वादग्रस्त ी में से किसी प्रकार का रहन बैचान हस्तान्तरण आदि न्यायालय को बिना सूचित किया गया हो तो ऐसा कृत्य वादीया के हक हिस्से तक प्रभाव शून्य होगा। लदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल द करें। इसी कदर वादपत्र बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है, डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर ा से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

आज दिनांक 15/03/2021 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिलाधिकारी)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:26 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

इजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

-: वादीया :-

1. मैना देवी पत्नी खींयाराम भाड़िया
जाति- जाट, निवासी- आसरलाई
तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज०।

बनाम

-: प्रतिवादीगण :-

1. हीराराम पुत्र भदाराम फौत के कायम मुकाम
   1/1. सुखड़ी पत्नी हीराराम
   1/2. कमला पुत्री हीराराम
   1/3. कैलाश पुत्र हीराराम
   1/4. जसादेवी पुत्री हीराराम
2. पुसाराम पुत्र भदाराम
3. भंवरूराम पुत्र भदाराम
4. तेजाराम पुत्र भदाराम फौत के कायम मुकाम
   4/1. परमाई पत्नि तेजाराम
   4/2. रितू पुत्री तेजाराम वलिया जरीये माता परमाई पत्नि तेजाराम
5. फुलकी पत्नी मादूराम
6. माना उर्फ मनीष पुत्र मादूराम
7. कुलदीप पुत्र मादूराम नाबालिग कुदरती वलीया माता फुलकी पत्नी मादूराम
8. शोभा देवी पुत्री मादूराम जाति- जाट, निवासीगण- आसरलाई तहसील- जैतारण, जिला पाली राज०।
9. तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर तहसील जैतारण, जिला पाली राज०।

मु०न० :रा०वा० स०: 13/202018

स्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88
ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-....... व हाजरी नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण प्रति. मिनजानिब द्रायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक ो विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में द वादीया अंतर्गत आदेश धारा-88, 92ए राजस्थान [illegible] 1955 दीया के पक्ष में बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार [illegible] जाता है। दग्रस्त आराजी सरहद मौजा आसरलाई, पटवार हल्का आसरलाई, [illegible] रीक्षक क्षेत्र निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राज० में स्थित खसरा नम्बर 320 कबा 03-12 बीघा किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा संख्या 321 रकबा [illegible]5-15 बीघा क्स्म बारानी अव्वल में से मुताबिक पंजीकृत बैचाननाम संख्या 2014002766 दिनांक 7.06.2014 के क्रेता/वादीया को क्रमशः खसरा नम्बर 320 रकबा 03-12 बीघा का म्पूर्ण हिस्सा का 5/7वां हिस्सा तथा खसरा नम्बर 321 रकबा 25-15 बीघा का 1/3 ग 5/7 वां हिस्सा का 17/43 वां हिस्सा का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:26 IST
Reason: SelfAttested

तिवादीगण संख्या 01 से 08 का नाम भू अभिलेख से विलोपित किया जावें। गण संख्या 01 से 08 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह के हक हिस्से में किसी प्रकार की बेजा दखलादांजी नहीं करें तथा न ही वादीया ने खातेदारी अधिकारों के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें। तरान-ए-वाद विचारण प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 द्वारा उपर्युक्त वादग्रस्त में से किसी प्रकार का रहन बैचान हस्तान्तरण आदि न्यायालय को बिना सूचित किया गया हो तो ऐसा कृत्य वादीया के हक हिस्से तक प्रभाव शून्य होगा। दार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल करें। इसी कदर वादपत्र बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है, ी फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-..... सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 15/03/2021 को -इजलास जारी किया गया ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
प वजह सबूत	01	00	महनताना वकील		
ताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
गवाहान	04	00	फीस कमीश्नर		
कमीश्नर	/		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
त ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
जानः-	8	00	मिजानः-	Nil	

:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:26 IST
Reason: SelfAttested